24.5.18 आज पत्र उप. । प्रतिवादीया ए-3 श्री आरिफ इकबाल द्वारा पेश हुआ। राजीनामा व [illegible] इकबालदावा पेश होने से तनकीयात की आवश्यकता नहीं है बहस उक्त पत्र हुई गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/5/18 को पेश हो।

28.5.18 पत्रावली पेश हुई। आज पत्र उप. । POsb. मुख्यालय से बाहर पधारे हैं पत्रावली दर्ज अनुसार दिनांक 30.5.18 को पेश हो।

30.5.18 पत्रावली पेश हुई आज पत्र उप. । वादीगण का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल मिसल रहे। पक्षकार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला मुकम्मल होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवम् उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर. ए. एस.

वाद सं. 68/2018

1. युनस अली 2. रहमत अली	पिसरान अता मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ, राजस्थान

-वादीगण

बनाम

1. अता मोहम्मद पुत्र जहाना जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. हलीमा पुत्री अता मोहम्मद पत्नी फारुख खान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. सकीना पुत्री अता मोहम्मद पत्नी मोहम्मद सलाम निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. असगर अली पुत्र अता मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील व जिला हनुमानगढ
5. मीना पुत्री अता मोहम्मद पत्नी जान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ
6. रसीदा पुत्री अता मोहम्मद पत्नी साबर अली जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ
7. कुरसैदा पुत्री अता मोहम्मद पत्नी खादिम जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ
8. हाशम पुत्र मंजूरा पत्नी यासीन पुत्री बीबा पुत्री फतेह खातून जाति मुसलमान निवासी नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा अंतर्गत धारा 88 आरटी ए

उपस्थितः श्री अनिलकुमार शर्मा-अधिवक्ता-वादीगण

श्री प्रदीप मोहन भाटी-अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 30.5.18

यह कि वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण ने उपरोक्त वाद बाबत घोषणा इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी के नाम चक 7 डीएलपी के प नं. 104/189(34) कि नं. 17-22-23-24, प नं. 139/190 (56) कि नं. 6-14-15-16-17-18-21-22-23-24-25, प नं. 140/191 (58) कि नं. 1-2-3-10-12, प नं. 139/191(59) कि नं. 2-3-4-5-6-7 कुल 10.950 हैक्टेयर भूमि में वादीगण की दादी फतेह खातून के नाम 7.572 हैक्टेयर भूमि में से 1/3 हक हिस्सा यानी 2.524 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड है व उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवम प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

4

में पैतृक हक हिस्सा निहित है जिसका घरेलू समझौता के अनुसार उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का हक हिस्सा वादीगण के पुत्र के पक्ष में त्याग किया हुआ है जिसके पश्चात प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है व वादीगण उक्त कृषि भूमि में 0.720 हैक्टेयर भूमि का खातेदार व काश्तकार है। वाद प्रस्तुत हाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण सं. 1,2, 4, 5, 6, 7, 8 ने राजीनामा प्रस्तुत किया व प्रतिवादिया संख्या 3 ने इकबाल जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक वाद स्वीकार फरमाया जाने का निवेदन किया व बाद राजीनामा मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने जवाब इकबाल में अपनी दादी फतेह खातून की भूमि में से अपना हिस्सा 0.051 हैक्टैयर भूमि वादीगण के पक्ष में हक परित्याग का कथन किया है। जवाब इंकबाल के अनुसार वादीगण 0.051 हैक्टेयर भूमि के बहिस्सा बराबर के हकदार हैं।

बहस पक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व पक्षकारान का उक्त वाद में राजीनामा व इकबाल जवाब पेश हो चुका है जिसके पश्चात पक्षकारों में कोई विवाद शेष नहीं है इसलिए वाद वादिया मुताबिक राजीनामा व इकबाल जवाब डिक्री किया जाना न्यायोचित मानता हूं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर चक 7 डीएलपी के खाता संख्या 39/33 जमाबंदी सम्वत 2070-73 में वर्णित कुल 10.950 हैक्टेयर भूमि में फतेह खातून का हक हिस्सा 2.524 हैक्टेयर में से 0.720 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी की जावे। यदि उक्त कृषि भूमि पर बैंक ऋण है तो बैंक ऋण अदा करने पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो। पत्रावली नंबर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 30.5.18 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(5)

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवम् उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर. ए. एस.

वाद सं. 68/2018

दिनांकः 30.5.18

1. युनस अली 2. रहमत अली	पिसरान अता मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ, राजस्थान

-वादीगण

बनाम

1. अता मोहम्मद पुत्र जहाना जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
2. हलीमा पुत्री अता मोहम्मद पत्नी फारुख खान जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. सकीना पुत्री अता मोहम्मद पत्नी मोहम्मद सलाम निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. असगर अली पुत्र अता मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील व जिला हनुमानगढ
5. मीना पुत्री अता मोहम्मद पत्नी जान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ
6. रसीदा पुत्री अता मोहम्मद पत्नी साबर अली जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ
7. कुरसैदा पुत्री अता मोहम्मद पत्नी खादिम जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ
8. हाशम पुत्र मंजूरा पत्नी यासीन पुत्री बीबा पुत्री फतेह खातून जाति मुसलमान निवासी नवां, तहसील व जिला हनुमानगढ -प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा अंतर्गत धारा 88 आरटी ए

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर ए एस के समक्ष अभिभाषक श्री अनिल कुमार शर्मा की उपस्थिति में निर्णिणार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वाद डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर चक 7 डीएलपी के खाता संख्या 39/33 जमाबंदी सम्वत 2070-73 में वर्णित कुल 10.950 हैक्टेयर भूमि में फतेह खातून का हक हिस्सा 2.524 हैक्टेयर में से 0.720 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि उक्त कृषि भूमि पर बैंक ऋण है तो बैंक ऋण अदा करने पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो।

आज दिनांक 30.5.18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षरों एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

सहायक कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner